प्र. स. 72 /बाया/प्र.पत्र/ 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... अहकाम ... हुकम के ... में जारी
29/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० है। मौका रिपोर्ट अप्राप्त है। TQR तालेड़ा को लिखा जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार मौका रिपोर्ट दिनांक 20/2/24 को पेश हो।	
20/2/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० है। मौका रिपोर्ट अप्राप्त है। पुनः लिखा जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार मौका रिपोर्ट दिनांक 9/3/24 को पेश हो।	
9/3/24	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर। शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	नि० अ० ... नि० अ० ... नि० अ० ...

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच संख्या 01

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच संख्या 01
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक
मजिस्ट्रेट, ...ड़ा (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2024.06.27 17:17:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

राष्ट्रीय लोक अदालत मार्च 2024

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
72/प्रा0पत्र/2023	03.07.2023	09.03.2024

1. खाना उम्र 73 वर्ष पुत्र गिल्या उर्फ गिला जाति मेहर निवासी साथेली तहसील तालेड़ा जिला बून्दी।
2. गणेशी बाई उम्र 73 वर्ष पुत्री गिल्या उर्फ गिला पत्नि रामकरण जाति मेहर निवासी साथेली, तहसील तालेड़ा हाल निवास सकतापुरा कोटा।
3. बजरंगा उर्फ बजरंग लाल उम्र 61 वर्ष पुत्र गिल्या उर्फ गलाजी जाति मेहर निवासी साथेली तहसील तालेड़ा हाल निवास सकतापुरा कोटा।
4. बद्रीलाल उम्र 73 वर्ष पुत्र गिल्या उर्फ गिला जाति मेहर नि– साथेली तहसील तालेड़ा जिला बून्दी।
5. रामेश्वर उम्र 67 वर्ष पुत्र गिल्या उर्फ गिला जाति मेहर निवासी साथेली तहसील तालेड़ा जिला बून्दी।

.......प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

.........अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थियाः– ग्यारसी लाल
अधिवक्ता अप्रार्थीः– पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 136 भू–राजस्व अधिनियम

प्रा0पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगणों की पैतृक खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 504 रकबा 0.0243 हैक्टे., खसरा सं. 531 रकबा 0.3237 हैक्टे., खसरा सं. 644 रकबा 0.8094 हैक्टे., खराra सं. 647 रकबा 0.5261 हैक्टे., खसरा सं. 944/620 रकबा 0.9551 हैक्टे. खसरा सं. 972/720 रकबा 1.7159 हैक्टे. कुल किता 6 कुल रकबा 4.3545 हैक्टेयर वाके ग्राम साथेली पटवार हल्का लीलेड़ा व्यासान तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण 1 लगायत 5 तक के सभी खातेदारों की जाति बलाई राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जबकि प्रार्थीगणों के समस्त दस्तावेजों में जो लोक दस्तावेज है उनमें जाति मेहर लिखा हुआ है। प्रार्थीगण 1 लगायत 5 की जाति मेहर है जो की सही है। प्रार्थीगण 1 लगायत 5 तक ने तहसीलदार तालेडा से प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की जाति बलाई के स्थान पर मेहर दर्ज करने का निवेदन किया परन्तु तहसीलदार तालेडा के द्वारा आज दिन तक उक्त जाति संसोधन करने बाबत् कोई कार्यवाही अमल में नही लाई गई जिस कारण प्रार्थीगण को अपने पैतृक संयुक्त खातेदारी की उपरोक्त भूमि पर लोन प्राप्त करने, कृषि भूमि का विकास करने, हस्तांतरण करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड रहा है। उक्त वाद का कारण आज से लगभग 25 दिन पूर्व तहसीलदार तालेड़ा ने प्रार्थीगण की जाति राजस्व रिकॉर्ड में बलाई के स्थान पर मेहर दर्ज करने से [illegible] निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जावे कि [illegible] में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगणों की जाति बलाई के [illegible] किया जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को ज[illegible] किया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रेकार्ड खसरा संख्या 504 रकबा 0.0243 हैक्टे., खसरा सं. 531 रकबा 0.3237 हैक्टे., खसरा सं. 644 रकबा 0.8094 हैक्टे., खरारा सं. 647 रकबा 0.5261 हैक्टे., खसरा सं. 944/620 रकबा 0.9551 हैक्टे. खसरा सं. 972/720 रकबा 1.7159 हैक्टे. कुल किता 6 कुल रकबा 4.3545 हैक्टेयर वाके ग्राम साथेली पटवार हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2024.06.27 17:17:47 IST
Reason: SelfAttested

लीलेड़ा व्यासान में खातेदार खाना, बजरंगा, बद्री लाल, रामेश्वर पुत्र गिल्या उर्फ गिला, गणेशी बाई पुत्री गिल्या उर्फ गिला की जाति बलाई दर्ज है जबकि मौका रिपोर्ट अनुसार इनकी जाति मेहर है तथा दस्तावेजों में भी जाति मेहर दर्ज है। जिसे बलाई के स्थान पर मेहर किया जाना उचित है।

पेरोकार सरकार द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थीगण की जाति बलाई के स्थान पर मेहर करने की अनुशंषा की गई।

बहस उभयपक्ष सूनी गई।

प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया एवं अवगत कराया कि राजस्व रेकार्ड में घर वालो एवं राजस्व कार्मिको के द्वारा संवहन व गलती से फोती नामान्तकरण के समय प्रार्थीगणों की जाति बलाई अंकित कर दी गई थी जो कि आज तक राजस्व रेकार्ड में अंकित चली आ रही है। जिसको दुरूस्त किया जाना प्रार्थी के हित में एवं न्याय के हित में अति आवश्यक है।

पेरोकार सरकार द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार जाति संशोधन किये जाने की अनुशंषा की गई।

हमने बहस वकील प्रार्थी सुनी तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकार्ड नकल जमाबन्दी खसरा संख्या 504 रकबा 0.0243 हैक्टे., खसरा सं. 531 रकबा 0.3237 हैक्टे., खसरा सं. 644 रकबा 0.8094 हैक्टे., खसरा सं. 647 रकबा 0.5261 हैक्टे., खसरा सं. 944/620 रकबा 0.9551 हैक्टे. खसरा सं. 972/720 रकबा 1.7159 हैक्टे. कुल किता 6 कुल रकबा 4.3545 हैक्टेयर वाके ग्राम साथेली पटवार हल्का लीलेड़ा व्यासान के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जमाबन्दी में प्रार्थीगणों की जाति बलाई ही अंकित है। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र यथा रिपोर्ट ग्राम पंचायत लीलेडा व्यासान एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगणों की जाति मेहर है जो कि सही है किन्तु दौराने रेकार्ड में अमल दरामद प्रार्थीगणों की जाति बलाई अंकित कर दी गई जबकि प्रार्थीगणों की सही जाति मेहर ही है। मौका रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थीगणों की जाति मेहर होना अंकित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में खसरा संख्या 504 रकबा 0.0243 हैक्टे., खसरा सं. 531 रकबा 0.3237 हैक्टे., खसरा सं. 644 रकबा 0.8094 हैक्टे., खसरा सं. 647 रकबा 0.5261 हैक्टे., खसरा सं. 944/620 रकबा 0.9551 हैक्टे. खसरा सं. 972/720 रकबा 1.7159 हैक्टे. कुल किता 6 कुल रकबा 4.3545 हैक्टेयर वाके ग्राम साथेली पटवार हल्का लीलेड़ा व्यासान मे प्रार्थीगण खातेदार खाना, बजरंगा, बद्री लाल, रामेश्वर पुत्र गिल्या उर्फ गिला, गणेशी बाई पुत्री गिल्या उर्फ गिला की जाति बलाई के स्थान पर मेहर संशोधित किया जावे शेष इन्द्राज बदस्तुर रखा जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.03.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच संख्या....01..........

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच संख्या....01..........
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक
मजिस्ट्रेट तालेडा (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2024.06.27 17:17:47 IST
Reason: SelfAttested